

संख्या- / 38-7-2009-एनआरईजीए/09

प्रेषक,
आर० पी० सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र०, लखनऊ।

1409

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2432/38-7-09-एनआरईजीए/09, दिनांक: 24-09-2009 द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच०आई०वी० से संक्रमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिये जाने के साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-06-2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये एच०आई०वी० और एड्स की जानकारी से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जॉब कार्डों पर अंकित किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० को निर्देशित किया जा चुका है।

2- इस संबंध में श्री एस०पी० गोयल, परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी गोमतीनगर के अर्द्धशा० पत्र दिनांक: 16-11-09 की छायाप्रति मय संलग्नक सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-3977(1)/38-7-2009 तददिनांक:-

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, ए ब्लॉक, चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक: 24-09-09 की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

संख्या- 2432 / 38-7-2009-एनआरईजीए/09

8/-9

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स से संकमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,
उपयुक्त विषय के संबंध में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-के-11021/1/08-नरेगा, दिनांक: 03-03-2009 के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निम्न कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:-

"भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच0आई0वी0 से संकमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिया जाय। साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-06-2009(प्रतिलिपि मय संलग्नक सहित) द्वारा उपलब्ध कराये गये एच0आई0वी0 और एड्स की जानकारी से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जॉब कार्डों पर अंकित किया जाय।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त अंकित निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

24/9

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

o/c